Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 94-2019/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JUNE 7, 2019 (JYAISTHA 17, 1941 SAKA)

हरियाणा सरकार

सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

दिनांक : 07.06.2019

संख्या 46/22/2019–3 सिं.कार्य.– भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

भाग – 1 सामान्य

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ।

(1) ये नियम हरियाणा सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग राजस्व स्थापना (ग्रुप ग) सेवा नियम, 2019 कहे जा सकते हैं।

(2) ये नियम इनके राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होंगे।

2. परिभाषाएं।

इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "बोर्ड" से अभिप्राय है,–

(i) हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी; या

(ii) कोई अन्य बोर्ड जिसे इन नियमों के प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड के रुप में घोषित किया गया हो;

(ख) "आयोग" से अभिप्राय है, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग;

(ग) "उप संग्रहक" से अभिप्राय है सिंचाई तथा जल संसाधन विभाग, हरियाणा का उप संग्रहक"

(घ) "सीधी भर्ती" से अभिप्राय है, कोई भी नियुक्ति, जो सेवा में से पदोन्नति द्वारा या भारत सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में पहले से लगे किसी कर्मचारी के स्थानांतरण से अन्यथा की गई हो ;

परिशिष्ट ख

(देखिए नियम 6)

क्रम संख्या	पदनाम	सीधी भर्ती के लिए शैक्षणिक योग्यताएं	सीधी भर्ती से अन्यथा नियुक्ति के लिए शैक्षणिक योग्यता तथा अनुभव, यदि कोई हो
1	2	3	4
1.	जिलेदार	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 55 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी / संस्कृत सहित मैट्रिक / 10+2 / स्नातक या स्नातकोत्तर ;	(i) पदोन्नति द्वारा – (ii) मुख्य राजस्व लिपिक, निर्धारण लिपिक, राजस्व लिपिक या सहायक राजस्व लिपिक के रुप में तीन वर्ष का अनुभव; (iii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष : परन्तु न्यूनतम योग्यता उनके लिए जो इन नियमों के प्रकाशन की तिथि से पूर्व सेवा में भर्ती हुए हैं, 10+2 होगी।
2.	मुख्य राजस्व लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) निर्धारण लिपिक के रुप में एक वर्ष का अनुभव।
3.	निर्धारण लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) राजस्व लिपिक के रुप में दो वर्ष का अनुभव।
4.	राजस्व लिपिक	..	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) सहायक राजस्व लिपिक के रुप में तीन वर्ष का अनुभव।
5.	सहायक राजस्व लिपिक	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50 प्रतिशत अंकों सहित स्नातक या इसके समकक्ष; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी / संस्कृत सहित मैट्रिक / 10+2 / स्नातक या स्नातकोत्तर ;	(i) पदोन्नति द्वारा; (ii) नहरी पटवारी के रुप में पांच वर्ष का अनुभव।
6.	नहरी पटवारी	(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या इसके समकक्ष परीक्षा; (ii) एक विषय के रुप में हिन्दी / संस्कृत सहित मैट्रिक / 10+2 / स्नातक या स्नातकोत्तर ;	..

APPENDIX B

(See rule 6)

Serial Number	Designation of the posts	Academic qualification for direct appointment	Academic qualification and experience, if any, for appointment other than direct recruitment.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Zilledar	(i) Graduate with 55% marks or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	(i) by promotion. (ii) three years experience as Head Revenue Clerk, Assistant Clerk, Revenue Clerk or Assistant Revenue Clerk. (iii) Graduation from any recognized University or its equivalent. Provided that the minimum qualification for those members of Service recruited in the Service before the date of publication of these rules shall be 10+2.
2.	Head Revenue Clerk	---	(i) by promotion. (ii) one year experience as Assessment Clerk.
3.	Assessment Clerk	---	(i) by promotion. (ii) two years experience as Revenue Clerk
4	Revenue Clerk	---	(i) by promotion. (ii) three years experience as Assistant Revenue Clerk.
5.	Assistant Revenue Clerk	(i) Graduate with 50% marks or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	(i) by promotion. (ii) five years experience as Canal Patwari.
6.	Canal Patwari	(i) Graduate or its equivalent examination from a recognized University. (ii) Matric/ 10+2/ Graduate/ Post Graduate with Hindi/ Sanskrit as one of the subject.	---

APPENDIX -B

(See rule 7)

Sr. No.	Designation of posts.	Academic qualifications and experience, if any, for direct recruitment.	Academic qualifications and experience, if any, for appointment other than by direct recruitment.
1	2	3	4
1.	Sadar Patwari	-	(i) Graduate or its equivalent examination of a recognized University; (ii) At least ten years experience as regular Patwari; (iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit/ Urdu up to Matric Standard or higher education.
2.	Tehsil Office Patwari	-	(i) Graduate or its equivalent examination of a recognized University; (ii) At least five years experience as regular Patwari; (iii) Knowledge of Hindi/Sanskrit/ Urdu up to Matric Standard or higher education.
3.	Patwari	(i) Graduate or its equivalaent examination of a recognized University; (ii) Knowledge of Hindi/ Sanskrit/ Urdu up to Matric Standard or higher education; (iii) Qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix E on the basis of syllabus given in Appendix-F to these rules after attending the patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director.	(i) Graduate or its equivalaent examination of a recognized University; (ii) Knowledge of Hindi/ Sanskrit/ Urdu up to Matric Standard or higher education; (iii) Qualify the Patwar examination as prescribed in Appendix E on the basis of syllabus given in Appendix-F to these rules after attending the patwar school for minimum period of one year and after passing the examination undergoes such practical field training for a period of six months as may be specified by the Director.